



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 782 राँची, मंगलवार, 2 कार्तिक, 1938 (श०)

24 अक्टूबर, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2017

संख्या-8/गठन/107/2017/न०वि०आ०-6539-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-2007, 2012) की धारा-3 की उपधारा-(1), (2) धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल चतरा जिला अन्तर्गत टन्डवा अंचल के 02 पंचायत की मूल जनसंख्या-12969 होने के फलस्वरूप संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (बचरा नगर पंचायत) के रूप में घोषित करने संबंधी "प्रारूप आदेश" निर्गत करना चाहते हैं ।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर बचरा नगर पंचायत के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, चतरा के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं ।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, चतरा के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, चतरा द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07, 2012) की धारा-3 की उपधारा-(1), (2) धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ चतरा जिला अन्तर्गत टन्डवा अंचल के 02 पंचायत (जनसंख्या सहित अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) को मिलाकर संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (बचरा नगर पंचायत) के रूप में घोषित करते हैं ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुलग्नक-1

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

बचरा नगर पंचायत का गठन

उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-1010/गो०, दिनांक 8 सितम्बर, 2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में चतरा जिलान्तर्गत प्रस्तावित बचरा नगर पंचायत में सम्मिलित होनेवाले 02 पंचायत की सूची:-

पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)
बचरा उत्तरी	बचरा	85	12969
बचरा दक्षिणी			

1. बचरा नगर पंचायत की कुल जनसंख्या - 12969 व्यक्ति ।
2. प्रस्तावित नगर पंचायत का क्षेत्रफल - 4105.23 एकड़ ।

अरुण कुमार सिंह,
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।